(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारीः कल्पना अग्रवाल (I.A.S)

इंतकाल अपील : 161 / 2023 (12 / 60 / 2023)

तारीख रजू : 20.09.2023 (27.07.2023)

निर्णय दिनांक : 21.02.2025

उनवान

1. शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम डवानी तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल निवासी नया बस स्टैण्ड के पीछे बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.

– रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ दिनांक 16.11.2016.

उपस्थितः–

01. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

02. पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 20.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये एवं तहत का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 16.11.2016 प्रकरण संख्या 105 / 15 जिसके द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 817 रकबा 0.5 एयर का आवासीय उपयोग–उपभोग अपीलान्ट द्वारा कदीमी से किया जा रहा है एवं वर्तमान में भी आवासीय उपयोग किया जा रहा है। दिनांक 28.09.2015 को तहसीलदार बहरोड़ ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना राजस्व रिकार्ड के अवलोकन किये विधिविरूद्ध एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू0रा0अधि0 अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया, जबकि तहसीलदार बहरोड़ को नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। दिनांक 28.09.2015 को खसरा नम्बर 817 रकबा 0.5 एयर की खातेदारी नगर विकास न्यास भिवाडी के नाम दर्ज थी, जो जमाबन्दी संवत 2069–72 से प्रभावित है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट ने छप्पर बनाकर आवासीय उपयोग किया हुआ है, जिसे हटाकर पुखता निर्माण किया जा रहा था। यदि निर्माण संबधित कोई आपत्ति होती तो नगर विकास न्यास भिवाड़ी कार्यवाही करता। अपीलान्ट ने उक्त आराजी का पट्टा जारी करवाने हेतु नगर विकास न्यास, भिवाड़ी में आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्त में अपीलान्ट ने निवेदन किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2016 निरस्त फरमाया जावें।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2072 ग्राम बहरोड़ के आ०ख०न० 817, 818 रकबा 0.02 है0 किस्म चारागाह पर पक्की चारदीवारी निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विधिवत् नोटिस जारी किये जाने उपरान्त भी अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत अतिक्रमी शलेन्द्र पुत्र महेन्द्र अनुराग पि. रामानन्द जाति अहीर निवासी बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज. को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित भूमि ख०न० 817, 818 रकबा 0.02 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम बहरोड़ से भौतिक रूप से बेदखल किये जाकर भू राजस्व का 0.22 का पच्चास गुणा राशि 11 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार उक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार कर यह अपील अन्दर मियाद मानी जाकर वास्ते सुनवाई ग्रहण की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन कर बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपील में ख0नं0 817 रकबा 0.05 है0 को राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के नाम दर्ज होना तथा ख0नं0 818 से अपीलान्ट का कोई संबंध सरोकार नही होना बताया है, जबकि तहसीलदार बहरोड़ के निर्णय दिनांक 16.11.2016 में आराजी ख0नं0 817, 818 रकबा 0.02 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम बहरोड़ में चारदिवारी निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर आदेश पारित किये है। तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरा न0 818 रकबा 0.41 है0 किस्म चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार अपीलान्ट ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 16.11.2016 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति पत्रावली में संलग्न की जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़